अभ्युक्ति

(1)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

Chete Hansda

Vrs

State & Others

अनुसूची 14 फारम सं. 562

आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम 12

आदेश पत्रक ता0.....से.....तक

जिला **RMP**.....सं0.....**04**.....सन् **2021-22**

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
23.11.2021	यह रे0मि0 पिटिशन वाद माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के W.P.(C) No 2166/2021 में पारित आदेश दिनांक-06.09.2021 के आलोक में आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जिसमें उल्लेख है कि :- Hence without going into the merit of the case, the petitioners are given liberty to prefer a fresh representation before the respondent no 7 on the present issue. On receipt of the said representation, the respondent no 7, after providing due opportunity of hearing to the petitioners/their representatives as well as the respondent nos. 5 and 6, shall take and appropriate informed decision within a period of four weeks from the date of filling of the said representation. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा पोखरिया, अंचल शिकारीपाड़ा के जमाबंदी सं0-30/18 के अन्तर्गत दाग सं0-1242 की जमीन को विपक्षी सं0-05 चाँद टुडू द्वारा M/S मेवाड़ इन्टरप्राईजेज के मालिक ओम प्रकाश शर्मा विपक्षी सं0-06 को पत्थर खनन हेतु जिला खनन पदाधिकारी, दुमका में खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया है, परन्तु M/S मेवाड़ इन्टरप्राईजेज के मालिक ओम प्रकाश शर्मा विपक्षी सं0-06 को खनन पट्टा निर्गत नहीं हुआ है। विपक्षी सं0-06 को खनन पट्टा निर्गत करने के विरूद्ध में आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में W.P.(C) 2166/2021 दायर किया गया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.
	मौजा प्रधान के द्वारा निर्गत वंशावली के अनुसार दोनों पक्ष (आवेदक एवं विपक्षी सं0-05) एक ही जमाबंदी के रैयत है एवं दोनों के बीच जमीन का आपसी बँटवारा नही हुआ है ।
	अतः जिला खनन पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करते हुए उभय पक्षों को सुनकर, आवेदक के दावों पर अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर उसके आलोक में ही खनन पट्टा (Mining Lease) के आदेश के संबंध में अनुशंसा/मंतव्य उपलब्ध करायेंगे तथा खनन पट्टा (Mining Lease) के संबंध में अंतिम निर्णय से पूर्व आवेदक के दावे के संबंध में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट निदेश/निर्णय प्राप्त कर लेंगे ।
	लेखापित एवं संशोधित ।
	23/11/21 उपायुक्त, दुमका । — 23/11/21 उपायुक्त, दुमका ।

300/DBdl-20.12.21

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:19:25 +05:30
Location: 169.254.227.244